

189



पारित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक II/निग./अशोकनगर/भूरा./2017/4532

कमलू चमार पुत्र तेजी जाति चमार

निवासी - ग्राम भौराकाछी, तहसील/जिला अशोकनगर (म.प्र.)आवेदक.

बनाम

1- केंदार पुत्र हरनाम काछी(फोट) वारिसान
अ- प्रदीप

ब- जसमन पुत्रगण स्व केंदार
स- गीता पुत्री स्व. केंदार
द- लीला पुत्री स्व. केंदार

2- पप्पू पुत्र बटटू लाल काछी
निवासीगण - ग्राम अमाही, तहसील व
जिला अशोकनगर (म.प्र.).....अनावेदकगण

श्री राजस्व सिद्ध धारक
द्वारा आज दि 17-11-17 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

17.11.17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक
297/स्व. निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.17
के विरुद्ध प्रस्तुत ।

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 977 रकवा 0.575 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1019 रकवा 0.314 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1020 रकवा 0.314 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकवा 1.203 हैक्टेयर ग्राम भौराकाछी, तहसील/जिला अशोकनगर (म.प्र.) में स्थित है उक्त विवादित भूमि का पट्टा आवेदक को विधिवत पात्रता के आधार पर बंटन हुआ था। उक्त विवादित भूमि का पट्टा विधिवत तहसीलदार महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर द्वारा विधिवत प्रकरण क्रमांक 39/अ-19/2001-2002 पर पंजीवद्ध किया जाकर कार्यवाही की गई और आवेदक को पात्रता के आधार पर आदेश दिनांक 09.06.2002 से पट्टा दिया गया था। तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया जाकर निरंतर खेती कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।
- 2- यह कि आवेदक एक हरिजन जाति का व्यक्ति है जिसे म.प्र. शासन द्वारा नियमानुसार पात्रता के आधार पर पट्टा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक फर्जी शिकायत के आधार पर आवेदक को विना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर दिये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता को शिकायत करने का अधिकार नहीं है शिकायतकर्ता गलतरूप से शासकीय भूमि पर अवैधरूप से कब्जा कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता का व्यक्तिगत हित छिपा हुआ है इस कारण उसके द्वारा मिथ्या शिकायत की गई है। जो विचार योग्य ही नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुने एकपक्षीयरूप से आदेश पारित किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

9

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/4532

जिला- अशोकनगर

कमलू चमार विरुद्ध केदार अन्या

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 297/स्वमेवनिगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(जे0 के0 जैन) सदस्य</p>	

द्वारा मन्थ्या। शिकायत का गइ ह। जा त्वचार याग्य ही नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुने एकपक्षीयरूप से आदेश पारित किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।